

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

आय-कर

काOआO 1002 (अ).-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2खख के उपनियम (2) की सारणी में,--

(क) क्रम संख्या 10 के सामने, स्तंभ (4), जो उस सीमा से, जिस तक भत्ता छूट प्राप्त है, संबंधित है, के नीचे की प्रविष्टि में, "800 रुपए प्रति मास" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1600 रुपए प्रति मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्या 11 के सामने, स्तंभ (4), जो उस सीमा से, जिस तक भत्ता छूट प्राप्त है, संबंधित है, के नीचे की प्रविष्टि में, "1600 रुपए प्रति मास" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "3200 रुपए प्रति मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना संख्यांक 39/2015/फा.सं. 142/02/2015-टी.पी.एल.]

(रमन चोपड़ा)

निदेशक (टी.पी.एल.-2)

टिप्पण--मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 995(अ), तारीख 10/04/2015, द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।